आईडीबीआई के गठन के संबंध में जानकारी

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया. इसे कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 4 ए के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्ज़ा प्राप्त हुआ. सन् 2004 तक यानी, 40 वर्षों तक इसने विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया.

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड

आवश्यकता महसूस होने और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आडीबीआई को बैंक के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया. इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा अंतरण अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी दिनांक 29.09.2004 की अधिसूचना के साथ पठित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण व निरसन) अधिनियम,2003 (इसके बाद से ``अंतरण अधिनियम" कहा गया है) पारित कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम,1964 को निरस्त किया गया और आईडीबीआई का कारोबार एवं उपक्रम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से बनाई गई कंपनी में अंतरित व निहित कर दिया गया.

आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय

बैंक की इनऑर्गेनिक वृद्धि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के प्रावधानों के तहत, जिसमें दो बैंकिंग कंपनियों के स्वैच्छिक समामेलन का प्रावधान है, आईडीबीआई लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में समामेलन कर लिया गया. यह विलय 02 अप्रैल 2005 से प्रभावी हो गया.

यूनायटेड वेस्टर्न बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय

सातारा में केंद्रित निजी क्षेत्र के बैंक - दि यूनायटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिस्थगन के अंतर्गत रखा था. अपनी इनऑर्गेनिक वृद्धि में और तेजी लाने के मकसद से आईडीबीआई लि. द्वारा उक्त बैंक का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट किये जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने यूडब्ल्यूबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई लि. में समामेलित कर दिया. यह विलय 03 अक्तूबर 2006 से प्रभावी हुआ.

आईडीबीआई लि. का नाम आईडीबीआई बैंक लि. में परिवर्तित

इस उद्देश्य से कि बैंक के नाम से इसके द्वारा किये जा रहे कार्य स्पष्ट रूप से झलके, बैंक का नाम बदल कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया. यह नया नाम कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा निगमन प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के साथ ही 07 मई 2008 से प्रभावी हो गया है. तदनुसार, बैंक अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मौजूदा नाम के साथ कार्य कर रहा है.

आईडीबीआई होम फायनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स का आईडीबीआई बैंक लि. में विलय

आईडीबीआई बैंक लि. की दो पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई होम फायनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स का भारत सरकार के कॉरपोरेट मामला मंत्रालय के दिनांक 08 अप्रैल 2011 के आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लि. में विलय कर दिया गया.समामेलन योजना के अधीन नियत दिवस 01 जनवरी 2011 अनुमोदित किया गया है. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394(3) के अनुसार भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दिनांक 26 अप्रैल 2011 को फाइल कर दिया गया है.